न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00123RAAJodhpur2017-02LRA75 Bhanwarlal Vs Rugnathram etc

भंवरलाल पुत्र श्री रूपाराम जी, जाति विश्नोई, निवासी- झडासर, पोस्ट राणेरी, तहसील बाप, जिल जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रूगनाथराम पुत्र श्री बरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी- झडासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बाप, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी,बाप द्वारा राजस्व/आवंटन/2016 क्रमांक 870 दिनांक दिनांक 04 नवंबर 2016 के जरिये 05 बिस्वा भूमि सिंचाई के प्रयोजनार्थ कुंआ खोदने, पम्प सेट हेतु आवंटित

उपस्थित-

श्री रोशन लाल अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 22 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व/आवंटन/2016 क्रमांक 870 दिनांक दिनांक 04 नवंबर 2016 के जरिये 05 बिस्वा भूमि सिंचाई के प्रयोजनार्थ कुंआ खोदने, पम्प सेट हेतु आवंटित करने के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत दिनांक 13 जनवरी 2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति चाही है। एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं. 770 रकबा 110.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में 05 बिस्वा भूमि कुआ खोदने एवं पम्प सेट लगाने हेतु आवंटित किय जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 नवंबर 2016 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या एक को खसरा नं. 770 रकबा 110.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में 05 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी, तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। भू-राजस्व नियम (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए खोदने/पम्प सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) 1979 के तहत चिन्हित भूमि ही आवंटित की जा सकती है, जो भूमि पूर्व में चिन्हित की जाकर आंवटित करने हेतु तय भूमि होती है, उसका ही आवंटन किया जा सकता है, इस कारण भी भूमि पूर्व से आवंटन हेतु तय नहीं होने के कारण आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन नियम 1979 के तहत अतिक्रमण किये हुए व्यक्ति के विरुद्ध 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही लंबित हो, उसे भूमि आवंटित या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियमन नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नियमो के विपरीत जाकर आवंटन किया है, जो आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन नियम 1979 के तहत सिर्फ नदी के बहाव क्षेत्र मे आने वाले स्थान या नदी में ही कुंआ या पम्प सेट लगवाने हेतु आवंटन किया जा सकता है, गैर मुमकिन मगरा में किसी तरह का आवंटन कुआ या पम्प सेट लगाने हेतु नहीं किया जा सकता है। आलौच्य आदेश नियमो के विपरीत जाकर पारित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर पूर्व में ही कुआ खोदकर पम्प सेट स्थापित किया हुआ था, इस कारण अतिक्रमण हटाने की जगह आवंटन कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध किया गया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही थी, अपीलार्थी ग्राम का निवासी है तथा ग्राम में नियम विरुद्ध हो रही कार्यवाही जो लोकहित के विरुद्ध है, के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है तथा सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु अपील प्रस्तुत करने के लिए व्यथित पक्षकार है तथा अतिक्रमण के बढावे को रोकने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नही थी, जो कार्यवाही की गई है, वो बाले-बाले की गई है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान सम्पर्क में शिकायत की गई थी, जिस शिकायत में यह ज्ञात हुआ कि नलकूप के लिये भूमि आवंटित कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गई है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां जाकर आवंटन की नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल तैयार होकर अपीलार्थी को दिनांक 28.11.2016 को प्राप्त हुई, जिसपर अपीलार्थी द्वारा नकल अपने अधिवक्ता को बताई गई, जिस पर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आलौच्य आदेश पढकर सुनाया गया तो प्रार्थी को प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि आलौच्य आदेश की अपील जोधपुर में होगी, इस पर प्रार्थी अपने गांव गया तथा अपील के खर्चे के लिए रूपयों की व्यवस्था की व दिनांक 12.01.2017 को जोधपुर आया व अपील करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया, जो अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई है तथा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 04 नवंबर 2016 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व सिचांई प्रयोजनार्थ कुंए खोदनेक और पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन नियम, 1979 के नियम 5 की पालना नही की गई है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित है। अपीलांट एक जागरूक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नागरिक है तथा विचारण न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि को कुंआ खोदने एवं पम्प सेट लगाने हेतु आवंटित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा हस्तगत अपील लोक हित से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष में पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नही होना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए अपील के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बाप की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा राजकीय भूमि खसरा नं. 770 रकबा 110.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में कुएं खोदने एवं पम्प सेट लगाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (सिचांई के प्रयोजन के लिए कुंए खोदने और पम्प सैट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 9 के अधीन 05 बिस्वा भूमि आवंटन किया जाना पाया जाता है। राजस्थान भू-राजस्व (सिचांई के प्रयोजन के लिए कुंए खोदने और पम्प सैट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 5 के मुताबिक ''**कुंए खोदने और पम्प सेट लगाने के लिए भूमि की घोषणा-** कलक्टर समय-समय पर किसी भूमि को, उसकी अवस्थिति, खसरा नंबर, क्षेत्रफल और अन्य विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए कुंए खोदने और पम्प सैट लगाने के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि घोषित कर सकेगा और ऐसी किसी घोषणा के होने पर वह आरक्षित हो जायेगी और इन नियमो के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध होगी। परन्तु कुंए खोदने के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आरक्षित की जाने वाली भूमि सामान्यतः गैर-मुमकिन, नदी(अकृष्य) या ऐसा ही भूमिगत जल रखने वाली भूमि के रूप में अभिलिखित सरकारी भूमि होगी। परन्तु पम्पिंग सैट के प्रयोजन के लिए, आरक्षित की जाने वाली भूमियॉ ऐसी भूमियॉ होगी जो नदी तल के पास स्थित हो।'' उपखण्ड अधिकारी द्वारा तलब रिपोर्टो में उक्त भूमि जिला कलक्टर के द्वारा आरक्षित श्रेणी की भूमि रखे जाने के संबंध में स्पष्ट किया जाना नही पाया जाता है तथा न ही उक्त भूमि नदी तल के पास होने अथवा भूमिगत जल रखने वाली भूमि होने के संबंध में स्पष्ट किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश विधिक रूप से समर्थन योग्य नहीं पाये जाने से यथावत रखने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान भू-राजस्व (सिचांई के प्रयोजन के लिए कुंए खोदने और पम्प सैट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 5 की स्पष्टतः पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर